

May kindly see the reply dated 16.07 2011 of 'Show Cause', submitted by Sri Bhagwan Dayal Bharti, Additional Chief Judicial Magistrate, Meerut, placed at flag '1', in the matter of late submission of information about purchase of H.I.G. House no. 6B/ 181, Vrindavan Scheme no. 1, Raebareli Road, Lucknow.

In this connection it is submitted that earlier, when Sri Bharti has furnished information dated 19.02.2011 (flag 'A') about the aforesaid house purchased by him through sale deed dated 13.06.2006, an office note dated 21.04.2011 (flag '2) was submitted before Hon'ble Mr. Justice Imtiyaz Murtaza, which had been forwarded by Ld. Registrar (B) through note dated \$03.05.2011 (flag '3'). His Lordship Hon'ble Mr. Justice Imtiyaz Murtaza, then ordered on 09.05.2011, which is reproduced as below:-

"It would appear that the officer had applied for purchase of the house in question in the year 2006 and the sale deed is now to be executed. The cost of the house is Rs 12 lacs and odd and the lean taken from the bank is to the tune of Rs. 10 lakhs which is repayable in 188 installments of Rs. 8,210/-. The HIG flar was purchased on 13.06.2006 and intimation thereof is being sent now. The reason for delay is unconvincing. The reasons mostly appear to be ailment and death of parents and also he being over-worked. It must be noticed that during all this period the officer performed his duties as usual. He also submitted statement of his movable and immovable properties. He also submitted information relating to purchase of car in the year 2007.

The provisions of Conduct Rules have to be treated with reverence and cannot be taken to be supererogatory to be observed in compliance at leisure and as one wishes. The information was to be submitted one addressing one letter since purchase was made from authorized Government Agency.

He should show cause why the matter be not referred for censuring his conduct."

Accordingly, a Court's letter dated 21.05.2011 (flag '4') has been issued to the District Judge, Meerut mentioning the order of the Court to get it complied by the officer.

In reply of Court's letter dated 21.05.2011, Sri Bharti has now been submitted his explanation/ Show Cause, through his letter dated 16.07.2011 (flag '1'), duly forwarded by the District Judge, Meerut, through endt. no. 1207/ I dated 21.07.2011, which is reproduced herein as under, in verbatim:

महोदय.

ससम्मान निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र सं0 8658 /v-2790 / एडिमिन ।ए। दिनांकित 21.05.2011 के द्वारा मेरे द्वारा क्य किये गये एच आई.जी. मकान नं0 6बी / 181 वृंदावन योजना सं0-01 राय बरेली रोड लखनउ की खरीद की सूचना माननीय उच्च न्यायालय की सेवा में विलम्ब से भेड़े जाने के सम्बन्ध में कारण बताओं नोटिस जारी की गयी है उसके सम्बन्ध में मेरा स्पष्टीकरण निम्नवत है :-

श्रीमान जी मेरे द्वारा वर्ष 2004 में उ० प्र० आवास विकास परिषद लखनउ द्वारा पोषित वृंदावन योजना सं0—1 में आवास आबंटित किये जाने हेतु आवेदन किया गया था । जिसके फलस्वरूप मुझे आवास सं0—6 बी /181 एच.आई.जी. 190/162। वर्गमीटर आबंटित हुआ । आबंटित मकान को क्य करने के लिये मैंने 10 लाख रूपये भारतीय रिटेट बैंक बदायूं से ऋण लिया और मकान सं0-6 बी /181 वृंदावन योजना सं0-1 रायबरेली रोड लखनउ क्य किया और इसके पश्चात आबंटित मकान का पंजीकरण दिनांक 13.06.2006 को मेरे द्वारा कराया गया । क्य किये गये मकान से सम्बनिधत सम्पूर्ण विवरण माननीय उच्च न्यायालय की सेवा में दिनांक 19.02.2011 को मेरे द्वारा प्रेषित किया जा चुका है ।

श्रीमान जी यह बात पूर्ण रूप से सत्य है कि मेरे द्वारा मकान क्य की सृचना माननीय उच्च न्यायालय की सेवा में विलम्ब से प्रेषित की गयी है, विलम्ब के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय से अति विनम्रता पूर्वक हृदय से क्षमा की प्रार्थना करते हुए सादर निवेदन है कि मैंने जुलाई 1999 में गरिमापूर्ण न्यायिक सेवा में माननीय उच्च न्यायालय के अधीन अपनी सेवायें प्रारम्भ की । तब से लेकर आज तक मेरी सेवायें माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय जनपद न्यायाधीश महोदयगण के कुशल निर्देशन में बेदाग रही हैं।

श्रीमान जी मेरे पिता श्री बंधू प्रसाद एक सम्मानित शिक्षक थे वे वर्ष 1996 में स्नेवा निवृत्त हुये । सेवानिवृत्त के पश्चात से ही उनका स्वास्थ्य सामान्य नहीं रहा । जनवरी वर्ष 2004 में वे फेफडे के कैंसर से पीडित हो गये । काफी इलाज के पश्चात भी जलाई 2004 में उनका निधन हो गया । अपने पिता जी की प्रमा होने के काण

भी जुलाई 2004 में उनका निधन हो गया । अपने पिता जी की मृत्यु होने के कारण सारी जिम्मेदारियों का बोझ मेरे उपर आ गया । पिताजी की मृत्यु के कारण मेरी माता श्रीमती रूमाली देवी अवसाद ग्रस्त हो गयी ओर अस्वस्थ रहने लगी और काफी इलाज के पश्चात वे स्वस्थ नहीं हो सकी ,अन्ततः जुलाई 2007 में वह कोमा में चली गयी और उसी दशा में उनका फरवरी 2010 में निधन हो गया ।

श्रीमान जी जून 2005 में मेरा स्थानान्तरण जनपद बाराबंकी से जनपद बदायूं के लिये हो गया तथा मैं माह जून 2006 तक बदायू जनपद में कार्यरत रहा । मेरी पत्नी भारत सरकार के डाक विभाग में कार्यरत है तथा वह मेरे गृह जनपद देवरिया में तैनात है । मेरी पत्नी के गृहीं जनपद देवरिया में तैनात होने तथा माता की बीमारी तथा घरेलू समस्याओं के आधार पर मैंने जनपद बदायूं से समय पूर्व स्थानान्तरण के लिये माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया । माननीय उच्च न्यायालय ने जून 2006 में मेरा रथानान्रण बस्ती जनपद के लिये कर दिया । जून 2009 तक मैं बस्ती जनपद में कार्यरत रहा । जनपद बस्ती में मेरी तैनाती के दौरान नजारत,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तथा प्रभारी वादकरण का अतिरिक्त प्रभार मेरे पास था । प्रभारी ं वादकरण होने के कारण सरकारी मुकदमों की पैरवी हेतु प्रायः माननीय उच्च न्यायालय जाना पडता था । इसके अतिरिक्त नजारत के कार्य तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के नाते भी मेरे उपर कार्य का अत्याधिक दबाव रहता था । जून 2009 में मेरा स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जनपद मेरठ के लिये कर दिया गया । माता जी की बीमारी तथा पत्नी के गृह जनपद में तैनात होने के क़ारण प्रत्येक माह में लगभग दो बार मुझे मेरठ से अपने गृह जनपद देवरिया जाना पडता था, इन्हीं व्यस्तताओं तथा भूल के कारण मकान क्य की सूचना भेजने में विलम्ब हुआ ।

श्रीमान जी माता पिता की लम्बे समय तक चली गम्भीर बीमारी तत्पश्चात उनके निधन,पारिवारिक जिम्मेदारियों तथा राजकीय,प्रशासनिक व न्यायिक कार्य की अधिकता तथा माननीय उच्च न्यायालय के नियमों को समझने में सद्भावी भूल के कारण मैं मकान क्य की सूचना माननीय उच्च न्यायालय की सेवा में समय से प्रेषित नहीं कर सका । इसके पीछे मेरा कोई दुराशय नहीं था तथा किसी भी दशा में माननीय उच्च न्यायालय से कोई भी तथ्य छिपाने की मेरी मंशा भी नहीं थी । इसके लिये मैं माननीय उच्च न्यायालय से करबद्ध होते हुये क्षमा याचना करता हूं तथा माननीय उच्च न्यायालय को आश्वस्त करता हूं कि भविष्य में इस तरह गलती की पुनरावृत्ति किसी भी दशा में नहीं होगी ।

अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि उपर्युक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में मेरे प्रति

सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए मेरे द्वारा की गयी इस सद्भावी त्रुटि को क्षमा करने के । निमित्त मेरे स्पष्टीकरण को माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख रखने की महती कृपा करें ।

इस निमित्त मैं सदैव आभारी रहूंगा ।

Under the facts and circumstances, if approved, the file may be laid before Hon'ble Mr.

Justice Imtiyaz Murtaza for His Lordship's kind perusal & orders?

Registrar (Budget)

The report asked under Courts letter dod (Doman)

21.5.11 (Hagged "h"), for Compliance of Orders all (Doman)

9.5.11 (Hagged "3") of Horible Mr. Justice Initiyaz Muriaza in regard

to purchase of House, HIG No. 68/181 at Luck now 4 submitted by

Sri Bhagwan Dayal Bharte, Act M. Meer of has been encomerated

above in detail

Submitted for kind perusal 4 onward submitten before

Submitted for kind perusal 4 onward submitten before

Horible Mr. Justice Intiyaz Murtaza for his Lordships kind

Horible Mr. Justice Intiyaz Murtaza for his Lordships kind

6.9.4 m)

Hon'ble Mr. Justice Imtiyaz Murtaza

Submitted for kind perusal and order.

1013.9.2011

(R.K. Tiwari)
Registrar (Budget)

losusel the explanation
to retie.
The officer be asked
to be correfel in
furture.

[69.11

A.R(Admin Atu) D.R.(M) 15-9-11

DX(W)

Regr (B)